न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 68/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. लाभचन्द पुत्र मदनलाल माली, निवासी मानासर तहसील व जिला नागौर 2. मुरली नायक पुत्र खीयांराम निवासी कुम्हारी दरवाजा, नागौर 3. श्रीमती लीला पत्नी राजकुमार तोषावरा नि. गणेश कॉलोनी कुम्हारी दरवाजा, नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री कालूराम सांखला एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।

निर्णय दिनांक– 18-07-2019

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 5 में अंकित 18 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय गैस, एक गैस भरने का पम्प, एक रेग्युलेटर, एक वाल्व एवं दो पाईप वायर एवं एक वेगन आर, आर.जे. 21 सी.ए. 1497 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आदेशिका दिनांक 13.05.2014 से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रकरण जबाब अप्रार्थीगण हेतु रखा गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 09.10.2014 से अप्रार्थीगण जबाब प्रार्थना वकील अप्रार्थीगण बंद किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से गवाह आनन्द अग्रवाल का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है, परन्तु जिरह हेतु उक्त गवाह एवं बकाया साक्ष्य प्रार्थी पेश करने हेतु प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर आदेशिका दिनांक 18.03.2019 से साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई। आदेशिका दिनांक 17.06.2019 से वकील अप्रार्थीगण की इस्तदुआ पर अप्रार्थीगण की साक्ष्य बंद की गई एवं प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।
2. वकुलाय की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से श्री रामजीवन बेनीवाल ने बहस में कथन किया कि दिनांक 20.05.2012 को मुखबिर से सूचना मिली कि उप पंजीयक कार्यालय, नागौर के सामने नागौर–जोधपुर रोड़ के उत्तर दिशा मे श्री लाभचंद पुत्र श्री मदनलाल जाति माली द्वारा अपनी पोल वाले घर में अवैध रुप से घरेलू गैस गाड़ियों में भरने का कार्य कर रहा है। साथ ही बड़ी मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण भी अपने घर पर कर रखा है। अतः मुखबिर की सूचना के अनुसार कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली पहुंचकर मय पुलिस जाब्ता मौके पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की।
3. वक्त जांच मौके पर घर पोल वाला मुख्य दरवाजा बंद पाया गया। दरवाजा खटखटाकर खुलवाया गया तो पोल के अंदर एक मारुति सुजुकी की वेगन आर, आर.जे. 21 सी.ए. 1497 गाड़ी मे घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बीपीसी एस.आर. नं. 255330 से गैस भरी जा रही थी। गैस भरने हेतु एक पम्प का उपयोग किया जा रहा था जो विद्युत चलित है, पम्प में से एक रेग्यूलेटर, एक वाल्व, दो पाईप लगे पाये गये।
4. मौके पर गैस भरने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम लाभचंद पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी मानासर, नागौर बताया। वेगन आर गाडी में गैस भरवाने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम मुरली नायक पुत्र श्री खींयाराम निवासी कुम्हारी दरवाजा, नागौर बताया। श्री लाभचंद से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं गाडियों मे गैस भरने

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

के लाईसेंस आदि के बारे में पूछा गया तो संतोषप्रद जबाब नहीं दिया तथा लाईसेंस होना नहीं पाया।

5. श्री लाभचंद से मकान के अन्य कमरों की जांच करवाने हेतु कहा गया तो पोल के पास स्थित कमरे को खोलकर जांच की गई तो उसमें घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण पाया गया। कमरे के अन्दर भारत गैस कम्पनी के 14 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए, 2 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के खाली एवं एक एच.पी. कम्पनी का खाली घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। कमरे में कुल 14 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं तीन खाली सिलेण्डर पाये गये एवं 1 घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण का कोई लाईसेंस नहीं पाया गया।

6. वक्त जांच श्री लाभचंद के मकान के पोल के पास स्थित कमरे को खोलकर जांच की गई तो अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग पाया गया, जिनकी गैस कम्पनी एवं सीरियल नम्बर इस प्रकार है :– एच.पी.सी. 398574–पी, तथा बी.पी.सी. 255330, 818755–एस, 115383–टी, 119890–टी, 137216–एस, 563222, 276172–एस, 568856–एस, 295822, 68354–टी, 049047–पी, 015380–एस, 786781–एस, 081989–एस, 221658, 022710–एस, 111779 इस प्रकार एच.पी.सी. कम्पनी का 1 एंव बी. पी.सी. कम्पनी के 17 घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 18 गैस सिलेण्डर है।

7. इस प्रकार उप पंजीयक कार्यालय, नागौर के सामने नागौर–जोधपुर रोड़ के उत्तर दिशा में श्री लाभचंद पुत्र मदनलाल जाति माली द्वारा अपनी पोल वाले घर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप भण्डारण कर गाडियों मे भरकर व्यवसायिक दुरुपयोग करना, ''लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), 4(1) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः मौके पर उक्त पैरा नम्बर 5 में अंकित 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, एक गैस भरने का पम्प, एक रेग्युलेटर, एक वाल्व एवं दो पाईप वायर सहित को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मै. नागौर सर्विस, नागौर के प्रतिनिधि आनन्द अग्रवाल की सुपुर्दगी में दिये गये एवं एक वेगन आर, आर.जे. 21 सी.ए. 1497 को पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 5 में अंकित 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, एक गैस भरने का पम्प, एक रेग्युलेटर, एक वाल्व एवं दो पाईप वायर सहित एवं वेगन आर, आर.जे. 21 सी.ए. 1497 को धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

8. वकील अप्रार्थी श्री कालूराम सांखला ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी का बड़ा परिवार है तथा इसके संयुक्त परिवार में करीब 10 से 15 व्यक्ति है, इसलिए प्रार्थी को अपने परिवार के लिए खाना बनाने आदि के लिए अधिक घरेलू गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता रहती है। उक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या–1 के है। अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध के प्रार्थी द्वारा गलत रूप से कार्यवाही की जाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

9. वकील अप्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 के मालिकाना हक की एक गाड़ी मारूती वेगन आर जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 21 सीए–1497 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समपहरण करने हेतु आवेदन पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वाहन से कोई आवश्यक वस्तु का परिवहन किया जाना साबित नहीं है। फिर भी प्रार्थी के अनुसार उक्त जब्तशुदा वाहन में गैस भरवाई जाने का कथन है, तो उक्त संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध मात्र एक गैस सिलेण्डर जिससे उक्त वाहन में गैस भरना बताया गया है, उक्त गैस सिलेण्डर की कीमत के समान जुर्माना किया जा सकता है, उक्त जब्तशुदा वाहन को स्थाई रूप से समपहरण नहीं किये जा सकने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में उप पंजीयक कार्यालय नागौर के सामने नागौर–जोधपुर रोड़ पर अप्रार्थी संख्या–1 लाभचन्द द्वारा अपनी पोल वाले घर में अवैध रूप से घरेलू गैस गाड़ियों में भरने की सूचना पर दिनांक 20.05.2012 को वक्त जॉच मौके पर पोल के अन्दर एक मारूती

Scanned by CamScanner

सुजुकी की वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 गाड़ी में घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी वीपीसी एस.आर. नं0 255330 से विद्युत चालित पम्प से अप्रार्थी संख्या 1 लाभचन्द द्वारा गैस भरी जाना पाया गया है। उक्त वेगन आर गाड़ी में गैस अप्रार्थी संख्या 2 मुरली द्वारा भरवाई जा रही थी। उक्त वाहन वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 का मालिक अप्रार्थी संख्या–3 श्रीमति लीला होना वकील अप्रार्थी श्री श्याम कुमार व्यास ने स्वीकार किया है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 लाभचन्द से मकान के अन्य कमरों की जॉच करवाने का कहा तो पोल के पास स्थित कमरे को खोलकर जॉच की गई तो कमरे में कुल 14 भरे हुऐ एवं 3 खाली गैस सिलेण्डर एवं 1 वीपीसी कम्पनी के सिलेण्डर से उक्त वाहन वेगन आर में गैस भरी जा रही थी, पाये गये। अप्रार्थी संख्या 1 श्री लाभचन्द के पास घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण का कोई लाईसेन्स नहीं होना पाया गया। वक्त जॉच अप्रार्थी संख्या 1 श्री लाभचन्द के मकान के पोल के पास स्थित कमरे को खोलकर जॉच में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया गया, जिनमें सिलेण्डरों का विवरण प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–5 में बताया गया है एवं इसके अलावा एक गैस भरने का पम्प, एक रेग्यूलेटर, एक वाल्व, दो पाईप वायर सहित एवं एक वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 को रूबरू मौतबिरान मौके पर पर जब्त किया गया है। उक्त तथ्य फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट दिनांक 20.05.2012 से साबित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–1 लाभचन्द द्वारा उपरोक्तानुसार जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर रख कर उनका व्यवसायिक दुरूपयोग करना एवं जब्तशुदा वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 में गैस भरने का पम्प, एक रेग्यूलेटर, एक वाल्व, दो पाईप के जरिये गैस भरना तथा अप्रार्थी संख्या–2 मुरली नायक द्वारा जब्तशुदा उक्त वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 गैस भरवाना तथा अप्रार्थी संख्या–3 श्रीमती लीला उक्त वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 का मालिक होना साबित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात एवं बहस में किये गये कथनों के असत्य होने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस तथ्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में दर्ज जब्त सुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक वेगन आर आरजे 21 सीए–1497, गैस भरने का पम्प, एक रेग्यूलेटर, एक वाल्व, दो पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तशुदा 18 घरेलू सिलेण्डर मय गैस के सम्बन्धित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा गैस भरने का पम्प, एक रेग्यूलेटर, एक वाल्व, दो पाईप का भी नियमानुसार निस्तारण करने तथा उक्त 18 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं गैस की कीमत के बराबर अप्रार्थी संख्या–1 लाभचन्द से जुर्माना नियमानुसार वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी संख्या–2 मुरली व 3 श्रीमती लीला प्रत्येक से प्रकरण में जब्तशुदा एक गैस सिलेण्डर की कीमत के बराबर जुर्माना नियमानुसार वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की दिनांक से एक माह की कालावधि में अप्रार्थी संख्या 2 मुरली व 3 श्रीमती लीला द्वारा जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर जब्तशुदा वाहन वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 को छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। यदि अप्रार्थी संख्या–2 मुरली व 3 श्रीमती लीला द्वारा उक्त नियत एक माह की कालावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन वेगन आर आरजे 21 सीए–1497 की खुली नीलामी की जाकर जुर्माना राशि वसूल किये जाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती हैं तथा पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

12. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार ...)
जिला कलेक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner